

सरयू राय

मंत्री

संसदीय कार्य-सह
स्वास्थ्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार



कार्यालय :-

झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ.टी.ई.पी., पी.डब्ल्यू.डी. (IB)
डोरण्डा, राँची
मो. : 9431114466

पत्रांक... 233/2016

दिनांक... 13/4/16

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार।

उच्चतम न्यायालय के आयुक्त के राज्य सलाहकार श्री बलराम ने 11.03.2016 को राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में राज्य में रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं पोषण प्रदान करने वाली योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण पर बल दिया है और इस संदर्भ में भारत सरकार की कतिपय अधिसूचनाओं के अंतर्गत विहित प्रावधानों का उल्लेख किया है। श्री बलराम द्वारा मुझे उपलब्ध किये गये ^{इस} पत्र की छाया-प्रति संलग्न है।

श्री बलराम के अनुसार ऐसी सभी योजनाओं के लिये, जिनका उल्लेख उन्होंने अपने पत्र के प्रथम पृष्ठ के दूसरे पाराग्राफ में किया है, एक ही निदेशालय का गठन करने पर बल दिया है। इस संबंध में श्री बलराम के साथ मेरी कई वार्तायें हुई हैं और मैं श्री बलराम के इस प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत एवं संतुष्ट हूँ कि ऐसी परियोजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण नियमित अंतराल पर दक्षतापूर्वक होना चाहिये, जो कि झारखण्ड राज्य में अभी तक नहीं हो रहा है।

श्री बलराम के इस पत्र में उल्लिखित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु एक एकीकृत निदेशालय गठित करने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

सधन्यवाद।

अनु. यथोक्त।

सरयू राय
13.4.16